

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504)एनएचएम/एचआरडी/2018/2095 दिनांक : 4/10/2018

—: आदेश :—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एनएचएम के प्रबंधकीय संवर्ग के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 237 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में विज्ञापित जिला फाईनेन्स कम लॉजिस्टिक कन्सल्टेन्ट (एनपीसीडीसीएस) के संविदा पद पर पूर्णतया संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

Sr No	Candidate name	Father'S Name	Posting Place	Consolidate Honorarium
1	PRAKHAR SHAH	RAJESH SHAH	PRATAPGARH	Rs. 30000/-
2	RAGHAV GUPTA	GIRDHARI LAL GUPTA	KOTA	Rs. 30000/
3	NITU MIDDHA	HARI CHAND MIDDHA	SIROHI	Rs. 30000/
4	PIYUSH CHAUDHARY	SURESH CHANDRA CHAUDHARY	BHRATPUR	Rs. 30000/
5	PARSA RAM	JEEVAN RAM GEELA	BARAN	Rs. 30000/
6	MAHENDRA SANKHALA	JOHARI LAL SANKHALA	DHOLPUR	Rs. 30000/


नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06.10.2018 को SMS AUDITORIUM, सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, रूंगटा अस्पताल के पास, जेएलएन मार्ग, जयपुर में प्रातः 09.00 बजे अपने संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त नवयुक्त कार्मिकों को कार्यग्रहण के साथ ही राज्य स्तर पर दिनांक 06.10.2018 से 07.10.2018 तक 2 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाकर दिनांक 07.10.2018 को आवंटित पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।

यदि कोई कार्मिक दिनांक 06.10.2018 को निर्धारित समय/स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

नव नियुक्त संविदा कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06.10.2018 को चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त संविदा कार्मिक को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच के अध्याधीन रहेगी यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।



(नेलीन जैन)

शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम



क्रमांक एफ.20 (504)एनएचएम/एचआरडी/2018/2095

दिनांक : 4/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक-जनस्वास्थ्य/आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
8. राज्य नोडल अधिकारी एनपीसीडीसीएस, एनएचएम, राजस्थान।
9. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, संबंधित जोन, राजस्थान।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़, कोटा, सिरोही, भरतपुर, बारां, धौलपुर।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम प्रतापगढ़, कोटा, सिरोही, भरतपुर, बारां, धौलपुर।
13. डीपीएम वर्टिकल प्रोग्राम, एनएचएम प्रतापगढ़, कोटा, सिरोही, भरतपुर, बारां, धौलपुर।
14. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक  
एनएचएम

